M.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION-2020

अनुक्रमांक/Roll No. [| | |]

कुल प्रश्नों की संख्या : 4
Total No. of Questions : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या :24
No. of Printed Pages :24

Fourth Paper
चतुर्थ प्रश्न–पत्र
JUDGMENT WRITING
निर्णय लेखन

समय – 3:00 घण्टे
Time – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100
Maximum Marks - 100

निर्देश :–
Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all the Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

SETTLEMENT OF ISSUES

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given hereunder and in the light of relevant provisions of laws - 10 Marks

Plaintiff's Pleadings :-

Plaintiff had purchased certain building material valued at Rs.2,00,000/- on credit from the defendant on 15.01.2015. Plaintiff required additional sum of Rs.3,00,000/- for the marriage of his daughter. Plaintiff offered to mortgage his three story house to defendant, which was accepted by defendant on the condition that he will execute the sale deed in favour of defendant and they will enter into an agreement separately regarding mortgage. Plaintiff having no other choice after receiving Rs. 4,00,000/- executed a sale deed of suit house in favour of defendant for security of loan amount, Rs. 6,00,000/- was mentioned as sale consideration in the sale deed and fact of delivery of possession to defendant was also mentioned. On that very date, defendant had executed an agreement in favour of plaintiff that if plaintiff will pay Rs. 6,00,000/- with 2% monthly interest within three years then defendant will re-convey the suit house to plaintiff by executing a sale deed in his favour. Plaintiff never intended to sale his property.

At the time of execution of this sale-deed, two tenants namely, Heeralal and Ramesh, were also residing in the suit house, who were paying monthly rent of Rs.6000 & 8000 respectively. The defendant was authorized to accept this rent in lieu of interest. Plaintiff continued his possession on suit property as owner. In March 2017 since Heeralal had handed over possession of that portion in favour of the plaintiff, whereas when the property was vacated by Ramesh in January 2018, the defendant rented it out to one Lokesh on rent @ Rs.10,000 per month. The defendant got his name entered in the Municipal records in illegal manner without any right over the suit property. The defendant is not entitled to recover interest @ more than 12%.

Further that in June 2019 plaintiff had requested the defendant to execute a reverse sale deed in his favour by settling accounts, but defendant declined. Plaintiff has been always ready and willing to perform his part under agreement dated 20.04.2015. Plaintiff has given a notice dated 15.07.2020 also, but the defendant did not follow the terms of the notice. Resultantly, plaintiff has filed this suit on 01.06.2021 against

defendant for redemption of mortgage, declaration of title and possession and in the alternative, specific performance of agreement of conditional sale and for restoration of possession in favour of the plaintiffs from Lokesh, who was inducted as a tenant by the defendant and till such vacation, claimed rent from Lokesh.

Defendant's Pleadings:-

All the averments made in plaint have been specifically denied being false. The plaintiff had willfully and with free consent, executed the sale-deed of suit house in favour of defendant after getting the due consideration and handed over the possession. Plaintiff is residing in the suit house gratuitously. Alleged agreement as averred by plaintiff is fake and forged, which is inadmissible in evidence due to its non registration, which can not be acted upon by the court for granting relief to plaintiff. The suit filed by plaintiff be dismissed with cost being time barred and non maintainable and plaintiff be directed to hand over the vacant possession of suit house to defendant.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों के प्रकाश में विवाद्यक विरचित कीजिये।

<u>वादी के अभिवचन–</u>

दिनांक 15.01.2015 को वादी ने प्रतिवादी से कुछ भवन निर्माण का सामान कीमत लगभग 2,00,000/– रूपए उधार खरीदा था। वादी को अपनी पुत्री के विवाह के लिए भी 3,00,000/– रूपए की आवश्यकता थी। वादी ने अपना तीन मंजिला मकान प्रतिवादी के पास बंधक रखने का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रतिवादी ने इस शर्त पर स्वीकारा कि वह प्रतिवादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा, और वे बंधक के संबंध में अलग से अनुबंध कर लेंगे। वादी के पास अन्य कोई विकल्प न होने से उसने दिनांक 20.04.2015 को प्रतिवादी से 4,00,000/– रूपए लेकर वादग्रस्त मकान का विक्रय पत्र ऋण की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के नाम निष्पादित किया, जिसमें विक्रय प्रतिफल 6,00,000/– रूपए लेख किया गया और प्रतिवादी को कब्जा सौंपे जाने की बात भी लेख कर दी गयी। उसी दिन प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में पृथक से एक अनुबंध इस आशय का निष्पादित किया कि वादी ऋण राशि 6,00,000/– अगले तीन साल में दो प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से अदा कर देगा तो प्रतिवादी वादग्रस्त मकान का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित कर मकान पुनः उसे हस्तांतरित कर देगा। वादी का आशय कभी भी वादग्रस्त मकान बेचने का नहीं था। उस समय वादग्रस्त मकान में हीरालाल व रमेश दो किरायेदार भी रहते थे, जिनका मासिक किराया क्रमशः 6000 व 8000 रूपए था। यह तय हुआ था कि प्रतिवादी ब्याज के बदले उनसे किराया लेता रहेगा। वादी पूर्व की भांति स्वामी की हैसियत से मकान में रहता रहा। हीरालाल ने मार्च 2017 में मकान खाली करके अपने भाग का कब्जा

वादी को सौंप दिया। रमेश ने जनवरी 2018 में मकान खाली किया, जिसे प्रतिवादी ने लोकेश नामक व्यक्ति को 10,000 रूपए मासिक किराये पर दे दिया। प्रतिवादी ने अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के नगर निगम के रिकार्ड में भी अपना नामांतरण करा लिया। प्रतिवादी 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिक दर से वादी से ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है।

जून 2019 में वादी ने प्रतिवादी से हिसाब कर उसके पक्ष में वापस विक्रय पत्र निष्पादित करने का कहा तो वह मुकर गया। वादी अनुबंध दिनांक 20.04.2015 के तहत अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहा है। वादी ने दिनांक 15.07.2020 को प्रतिवादी को सूचना पत्र प्रेषित किया, जिसका अनुपालन भी उसने नहीं किया, तब वादी ने दिनांक 01.06.2021 को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बंधकमोचन, स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा तथा विकल्प में सर्शत विक्रय द्वारा बंधक के अनुबंध पत्र के विनिर्दिष्ट अनुपालन व किरायेदार लोकेश से वादग्रस्त मकान के भाग का रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने की सहायता चाही गयी है। इसके अलावा किराएदार लोकेश से कब्जा सौंपे जाने के दिनांक तक किराए की राशि भी उसे दिलाए जाने का निवेदन किया गया।

<u>प्रतिवादी के अभिवचन</u> –

वादपत्र के सभी अभिवचन असत्य होने से अस्वीकार हैं। वादी ने स्वतंत्र सहमति से प्रतिवादी के पक्ष में पूर्ण प्रतिफल लेकर वादग्रस्त मकान का विक्रय पत्र निष्पादित कर कब्जा प्रदान किया था। वादी अनुग्राहिक रूप से वादपत्र मकान में रहता चला आ रहा है। वादी द्वारा अभिकथित तथाकथित अनुबंध पत्र फर्जी व कूटरचित है। उक्त अनुबंध पत्र पंजीकृत न होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इसके आधार पर वादी को कोई सहायता नहीं दी जा सकती। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद समयावधि बाह्य है व अप्रचलनशील होने से निरस्त किए जाने योग्य है, अतः सव्यय निरस्त किया जाए और वादी को आदेशित किया जाए कि वह प्रतिवादी को वादग्रस्त मकान का रिक्त आधिपत्य प्रदान करे।

<u>FRAMING OF CHARGES</u>

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of facts given here under - - 10 Marks

<u>PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS</u> -

Naveen Mishra is working as Branch Manager of Madhupur Branch of Bank of Baroda from 01.01.2018. Sudhir is a cashier, Abhishek is Data Entry Operator and Manoj is working as Sweeper in the same Bank. On 12.05.2018, the bank was closed at 02:30 PM being half day holiday on

Saturday. Keys of bank were kept by Manoj. With the help of Manoj, Abhishek got the bank opened on 12.05.2018 at 7 PM and disconnected the CCTV camera installed in the bank. Thereafter Abhishek opened 12 fake KCC loan accounts by using the password of Branch Manager Naveen Mishra and cashier Sudhir and transferred Rs.1 lac in each account. The fact of fake KCC accounts was disclosed in the audit of bank conducted in the end of the month and it came to the notice that amount of only Rs.5 lacs is available in those fake accounts. Naveen Mishra lodged FIR and after registration of Crime No.92/2018, police started investigation. Statements of witnesses under Section 161 of Cr.P.C. were recorded. Accused Abhishek was taken into custody and interrogated. He revealed that few days prior to the incident, he secretly watched the password of Naveen and Sudhir during meetings with them and noted the password, which was used by him for opening fake KCC loan accounts and for transfer of money in those accounts. After few days, he withdrew Rs.7 lacs from those accounts out of which, Rs.2 lacs were paid by him to Manoj and he used the rest of amount. CCTV footage of camera installed at showroom just opposite to the bank was seized in which both accused are visible. It was found that they entered the showroom by opening the locks on 12.05.2018 at 7 PM and came out at 7:52 PM. Rs.30,000/- were recovered and seized from accused Manoj on the basis of information given by him in his memorandum under Section 27 of Indian Evidence Act and seizure memo was prepared. Charge-sheet has been filed after completion of investigation.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर आरोप/ आरोपों की विरचना कीजिये।

<u>अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन</u> –

नवीन मिश्रा दिनांक 01.01.18 से बैंक आफ बडौदा शाखा मधुपुर में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसी बैंक में सुधीर कैशियर के पद पर, अभिषेक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व मनोज स्वीपर के पद पर काम करते हैं। दिनांक 12.05.2018 शनिवार को अर्द्धदिवस का अवकाश होने से बैंक दोपहर 2.30 बजे ही बंद कर दिया गया था, जिसकी चाबी मनोज के पास रहती थी। अभिषेक ने मनोज की मदद से दिनांक 12.05.2018 को शाम 7 बजे बैंक खुलवाया, बैंक में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे को बंद कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने ब्रांच मैनेजर नवीन मिश्रा व कैशियर सुधीर के पासवर्ड का इस्तेमाल करके 12 फर्जी के.सी.सी. लोन अकाउन्ट खोले और प्रत्येक में एक लाख रूपए ट्रांसफर कर दिया। माह के अंत में हुए ऑडिट में फर्जी खातों की जानकारी हुई और ज्ञात हुआ कि उक्त फर्जी खातों में अब मात्र पांच लाख की राशि ही शेष है। नवीन मिश्रा ने घटना की रिपोर्ट की जिसपर से अपराध कमांक 92/2018 दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। साक्षीगण के

कथन धारा 161 दप्रसं0 के तहत लेखबद्ध किये गये। आरोपी अभिषेक को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेख किया गया, जिसमें उसने बताया कि उसने घटना के कुछ दिन पूर्व नवीन व सुधीर के साथ बैठकों के दौरान उनके पासवर्ड चुपके से देखकर नोट कर लिये थे, जिनका उपयोग करके उसने फर्जी के.सी.सी. लोन अकाउन्ट बनाए जिनमें पैसे ट्रांसफर किए। कुछ दिन बाद उसने उक्त खातों से सात लाख रूपए निकाले, जिनमें से दो लाख रूपए मनोज को दिए और बाकि खर्च कर दिये। बैंक के सामने स्थित शोरूम के सी.सी.टी.वी. कैमरा की फुटेज जप्त की गयी जिसमें घटना दिनांक 12.05.2018 को शाम 7 बजे दोनों आरोपीगण बैंक का ताला खोलकर उसमें जाते व लगभग 7.52 बजे बाहर आते दिखे। आरोपी मनोज का भी मेमोरेण्डम अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेख किया गया जिसके आधार पर उससे बैंक की चाबी व 30,000/— रूपए जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

JUDGMENT WRITING (CIVIL)

Q.3 Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given hereunder after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law/Acts :-

- 40 Marks

Plaintiff's Pleadings :-

The brief case of the plaintiff is as follows :

The suit property belongs to the first defendant by virtue of a registered sale deed dated 18-03-1980. The second defendant is the son of the first defendant. The plaintiff entered into a sale agreement dated 05-07-1995 with the defendants for the purchase of the suit property against a total sale consideration of Rs. 10,000/- and on the date of sale agreement itself, the entire sale consideration was paid to the defendants. The defendants handed over possession of suit property to the plaintiff on the date of sale agreement and since then, the plaintiff is in possession and enjoying suit property. The defendants also handed over original sale deed dated 18-03-1980 executed in favour of the first defendant to the plaintiff. In the sale agreement, the defendants agreed to execute sale deed in favour of the plaintiff or in favour of his nominee. On 05-06-2007, the plaintiff orally requested the defendants to execute the sale deed in his favour. However, the defendants promised to execute the sale deed in six month's

time, since they were employed in Tirpur. Subsequently also, the defendants avoided execution of the sale deed in favour of the plaintiff.

On 04-01-2009, the plaintiff came to know that the defendants were trying to alienate the suit property to a third party, since the market value of the property had been increased. The plaintiff was always ready and willing to perform his part of the contract. On 05-01-2009, the plaintiff sent a notice to the defendants for executing the sale deed. On 06-01-2009, the defendants tried to interfere with the plaintiff's possession. In these circumstances, the plaintiff filed the suit for specific performance of contract and permanent injunction.

Defendant's Pleadings :-

The defendants while denying the averments stated in the plaint, specifically stated that the second defendant borrowed a sum of Rs. 10,000/- in the year 1991 from the plaintiff and as a security for the said loan, the defendants executed a promissory note in favour of the plaintiff. The defendants also paid interest at the rate of Rs. 3/- per Rs. 100/- per month. Since the defendants incurred loss in their business, they could not pay the interest to the plaintiff; they handed over the original documents pertaining to suit property to the plaintiff as security. The defendants had also given the signed blank stamp papers to the plaintiff. The plaintiff informed the defendants that he is obtaining the blank stamp papers only as a security for due payment of the monthly interest. The plaintiff also informed the defendants that in respect of paying the interest, he will have the possession of the suit property and to that effect, he would write a document in the blank stamp paper obtained from the defendants.

In July 1995, the defendants tried to dispose of the property for discharging the loan availed from the plaintiff. Immediately, the plaintiff prevented the defendants from disposing of the property by using the blank stamp papers and getting the document written on it as though, the defendants agreed to sell the property to him. The defendants are willing to repay the loan amount together with interest from the date of signing the blank stamp papers. The defendants did not receive the notice dated 05-01-2009 alleged to have been sent by the plaintiff. The alleged sale agreement dated 05-07-1995 is not true and genuine and the same is not meant for selling the property to the plaintiff. The transaction between the defendants and the plaintiff is only a loan transaction. In these circumstances, the defendants prayed for dismissal of the suit.

Plaintiff's Evidence :-

The plaintiff examined himself and three other witnesses. He deposed and reiterated the contents of plaint and relied upon the documents which were marked as Ex.A1 to A8.

P.W.2 and P.W.3 are the attestors of Ex.A1 agreement. P.W.4 is the scribe of Ex.A1. Except the attestors and the scribe, the plaintiff has not examined any other independent witness to prove the averments stated in the plaint. The only correspondence between the plaintiff and the defendants is Ex.A3 notice dated 05-01-2009 sent by the plaintiff to the defendants which was also returned unserved.

The office copy of the pre-suit notice has been marked as Ex.A6. It was received by the first defendant and the postal acknowledgment card has been marked as Ex.A8. The first defendant gave reply of notice and the same has been marked as Ex.A7. Office copy of the same has been marked as Ex.B1. The reply notice is dated 20-01-2005 and Ex.B2-acknowledgment card shows that it was received by the counsel for the plaintiffs on 24-01-2005. The suit came to be filed on 24-01-2005 itself. However, in the cause of action column nothing has been mentioned regarding the reply notice containing refusal to perform. Of course, it is obvious that after sending the notice calling upon first defendant to execute the sale deed in accordance with the sale agreement for sale, the suit came to be filed within 12 days and it so happened that the reply of notice sent by the first defendant was also received by the counsel for the plaintiff's on the date of filing of the suit.

Plaintiff has deposed that Ex.A1 sale agreement dated 05-07-1995 was meant for selling the property to him and it was not given as a security for the loan availed by the defendants from him. The plaintiff further deposed that the defendants executed Ex.A1-sale agreement in his favour for selling the suit property for a total sale consideration of Rs. 10,000/-. According to the plaintiff, he paid the entire sale consideration on the date of execution of the sale agreement itself.

He further deposed that in the sale agreement, it has been recited that the defendants will execute the sale deed, as and when the plaintiff wishes either in his name or in the name of his nominee. He further deposed that since the defendants were employed in Tirpur, they requested time for executing the sale deed in favour of him due to which he avoided to file the suit. He further deposed that first defendant alone is the absolute owner

of the suit property. He has also deposed that on the date of sale agreement, the defendants had handed over the original sale deed marked as Ex.A2 dated 18-03-1980 to him.

Defendant's Evidence :-

The first defendant has deposed that the second defendant borrowed a sum of Rs. 10,000/- from the plaintiff on a monthly interest of Rs. 3 per Rs. 100 per month i.e. 36% per annum. Plaintiff had obtained their signature on blank stamp papers as security for due repayment of the loan amount, which he had utilized for filing the present suit for specific performance of contract.

He further deposed that when second defendant has no title or right over the suit property, the reason for including him in the sale agreement makes it clear that sale agreement was nothing but a security transaction. He further deposed that plaintiff has not produced a single paper to prove that he took any step between 1995 to 2009 to get the sale deed executed from him.

Arguments of Plaintiff :-

Learned counsel for plaintiff submitted that the suit agreement executed by the defendants was meant for selling the suit property to the plaintiff and the recitals found in the said agreement itself would establish that it is meant for selling the property to the plaintiff. The learned counsel further submitted that the plaintiff has been contacting and requesting the defendants to execute the sale deed, since the date of execution of the sale agreement and since they took steps to sell the property to some third parties, he issued a notice dated 05-01-2009 and filed the suit on 07-01-2009. The learned counsel also submitted that in view of the close relationship between the parties, the plaintiff did not file the suit immediately. The plaintiff has come out with a genuine case and therefore, it cannot be alleged that he has not approached the Court with clean hands.

The learned counsel for plaintiff further argued that S. 92 of the Evidence Act bars the defendants from contending that there was no sale and, it is submitted that defendants should not have been permitted to lead oral evidence in support of the contention in the light of Section 91 of the Evidence Act.

Learned counsel further argued that suit insofar as it relates to the prayer for a perpetual injunction restraining the defendants from

interfering with the possession of the plaintiff's cannot be held to be barred by limitation. He further submitted a vendor who had received the entire sale consideration is obliged to handover possession of the property to the purchaser and give warranty for occupation free of disturbances. It is not possible to attribute any grave misconduct on the part of the plaintiff, especially in a case where the entire sale consideration has been paid, to deny to him the relief of specific performance. On the other hand, it would be inequitable to deny such a relief in view of Section 10 of Specific Relief Act.

He further contended that the plaintiff, after he paid the full amount to defendants and obtained from him the receipt of the last payment, completes his part of the contract has to be adjudged in the broad perspective. The Court in suitable cases should look into the totality of the circumstances and the allegations made in the plaint and from them come to the conclusion whether necessary allegations have been made by the plaintiff in that regard or not.

Arguments of Defendant :-

Learned counsel appearing for the defendants submitted that the alleged suit agreement was not meant for selling the property to the plaintiff and it can be construed only as a security document for due discharge of the loan amount. The learned counsel further submitted that the alleged suit agreement is dated 05-07-1995, whereas the suit was filed only on 07-01-2009 i.e., nearly after 14 years from the date of alleged execution of Ex.A1 sale agreement. Plaintiff has assigned no reason for the delay of almost 14 years in filing the suit. Even if time is not the essence of contract it has to be performed in reasonable time. Hence, suit is clearly time barred and limitation can not be fixed from the date of issuance of legal notice dated 05-01-2009 as same is against Article 54 of the Limitation Act.

The learned counsel also submitted that in the absence of any evidence led in by the plaintiff to establish that there is no latches in filing the suit, suit can not be decreed. The learned counsel also submitted that the plaint filed by the plaintiff for specific performance of the agreement is not in conformity with Order 6 Rule 3 CPC, and Clause 3 Appendix. It is also the contention of the learned counsel that even though sale consideration is paid in full at the time of execution of agreement for sale, even than plaintiff should have to prove that he had been ready and willing to perform the contract from the date of agreement till the date of filing of

the suit. The learned counsel further submitted that the plaintiff has not come to the Court with clean hands and therefore, no decree for specific performance can be granted in his favour.

निम्नलिखित अभिवचनों एवं साक्ष्य के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :–

वादी का दावा संक्षेप में इस प्रकार है –

प्रथम प्रतिवादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 18.03.80 के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी है। द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी का पुत्र है। वादी ने वादग्रस्त सम्पत्ति को रूपए 10,000 में क्रय करने के लिए विक्रय अनुबंध दिनांक 05.07.1995 को प्रतिवादीगण से किया। विक्रय अनुबंध दिनांक को ही प्रतिवादीगण को वादी द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि अदा की गयी। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त सम्पत्ति का आधिपत्य उसी दिन वादी को सौंप दिया और तब से वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर आधिपत्यधारी होकर उसका उपभोग कर रहा है। प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी क्र.1 के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय पत्र दिनांकित 18.03.1980 भी वादी को उसी दिन अर्थात् विक्रय अनुबंध दिनांक को दे दिया। विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिवादीगण वादी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु सहमत हुए थे। 05.06.2007 को वादी ने प्रतिवादीगण से मौखिक तौर पर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा, जिसपर प्रतिवादीगण ने 6 माह के भीतर विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा क्योंकि वह लोग तिरपुर में नौकरी कर रहे थे। उसके पश्चात् भी प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया।

दिनांक 04.01.2009 को वादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य बढ जाने के कारण उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए सदैव तत्पर एवं इच्छुक रहा। 05.01.2009 को वादी ने प्रतिवादीगण को अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस भेजा। 06.01.2009 को प्रतिवादीगण ने वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के द्वारा संविदा के विशिष्ट अनुपालन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी के अभिवचन :–

प्रतिवादीगण ने वादी के द्वारा वादपत्र में किये गये अभिवचनों से इंकार करते हुए यह विशिष्ट रूप में अभिवचनित किया कि द्वितीय प्रतिवादी ने वर्ष 1991 में वादी से रूपए 10,000 उधार लिए थे और उक्त ऋण की सुरक्षा के संबंध में प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में एक प्रोमेसरी नोट लिखा था। उन्होंने तीन रूपए प्रति सैकडा की दर से

ब्याज भी अदा किया है। चूंकि प्रातेवादीगण को अपने व्यापार में घाटा हुआ, जिस कारण वे वादीगण को ब्याज अदा नहीं कर सके तथा उन्होंने वादग्रस्त सम्पत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज वादी को प्रतिभूति बतौर सौंप दिये थे। उन्होंने वादी को अपने दस्तखत किए हुए कोरे स्टाम्प पेपर भी दिये थे। वादी ने उनसे कहा था कि वह कोरे स्टाम्प पेपर मासिक ब्याज की समुचित अदायगी के लिये प्रतिभूति बतौर ले रहा है। वादी ने यह भी कहा था कि वह ब्याज अदायगी के संबंध में वादग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा भी लेगा और प्रतिवादीगण से प्राप्त कोरे स्टाम्प पेपर पर एक दस्तावेज लिखेगा।

जुलाई 1995 में प्रतिवादीगण ने वादीगण से प्राप्त लोन को पटाने के लिए उक्त सम्पत्ति को विक्रय करने का प्रयास किया, किंतु वादी ने तत्काल कोरे स्टाम्प पेपर्स का उपयोग करते हुए और उक्त पर यह लिखकर कि प्रतिवादीगण ने उससे उक्त सम्पत्ति को बेचने का अनुबंध किया है, उन्हें वादग्रस्त सम्पत्ति बेचने से रोक दिया। प्रतिवादीगण खाली स्टाम्प पेपर हस्ताक्षरित करने की दिनांक से वादी को सम्पूर्ण ऋण राशि मय ब्याज अदा करने के इच्छुक हैं। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा भेजा गया नोटिस दिनांकित 05.01.2009 कभी प्राप्त नहीं हुआ। विक्रय अनुबंध दिनांकित 05.07.1995 सत्य एवं वास्तविक नहीं है तथा उसका तात्पर्य कभी भी वादी को सम्पत्ति बेचना नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुआ संव्यवहार मात्र एक ऋण संव्यवहार है। उक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी ने वादी का दावा निरस्त करने की प्रार्थना की है।

<u>वादी की साक्ष्य</u> :–

वादी ने स्वयं को एवं तीन अन्य साक्षियों को वादी साक्षीगण के रूप में परीक्षित किया है। अपनी साक्ष्य में उसने वादपत्र में किये गये अभिवचनों को दोहराया है व उसने प्रदर्श ए1 लगायत ए8 तक के दस्तावेजों पर विश्वास किया है।

वादी साक्षी क.2 एवं 3 प्रदर्श ए1 के अनुबंध पत्र के प्रमाणक साक्षी हैं, जबकि वादी साक्षी क.4 प्रदर्श ए1 के अनुबंध पत्र का लेखक है। दस्तावेज के प्रमाणक साक्षियों एवं लेखक के अतिरिक्त वादी ने वादपत्र के अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य एकमात्र पत्राचार 05.01.2009 को वादी के द्वारा प्रतिवादीगण को भेजा गया प्रदर्श ए3 का नोटिस मात्र है, जो बिना तामील हुए वापस आया है।

वाद पेश करने के पूर्व भेजे गये नोटिस को प्रदर्श ए6 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसे प्रथम प्रतिवादी के द्वारा प्राप्त किया गया था इसकी डाक अभिस्वीकृति को प्रदर्श ए8 के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रथम प्रतिवादी ने प्रदर्श ए6 के नोटिस का जो जवाब भेजा था, उसे प्रदर्श ए7 के रूप में प्रदर्शित किया गया। उसकी कॉपी को प्रदर्श बी1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्श ए6 के नोटिस का जवाब दिनांकित 20.01.2005 है तथा प्रदर्श बी2 का अभिस्वीकृत कार्ड यह दर्शित करता है कि इसे वादी के अधिवक्ता के द्वारा 24.01.2005 को प्राप्त किया गया था। दावा 24.01.2005 को पेश किया गया।

दावे में वाद कारण के पैरा में, नोटिस का जवाब जिसके द्वारा प्रतिवादी ने अपने भाग का पालन करने से इंकार कर दिया था का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निःसंदेह यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रतिवादी को विक्रय अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस दिये जाने के 12 दिन के भीतर दावा पेश कर दिया गया, नोटिस का जो जवाब प्रथम प्रतिवादी के द्वारा दिया गया था वह वादी के अभिभाषक को दावा प्रस्तुत करने की दिनांक को ही प्राप्त हुआ था।

वादी की यह साक्ष्य है कि प्रदर्श ए1 का विक्रय अनुबंध दिनांकित 05.07.1995 सम्पत्ति के विक्रय के लिये था, यह प्रतिवादी द्वारा उससे प्राप्त किये गये ऋण की प्रतिभूति बतौर नहीं लिया गया था। वादी की यह भी साक्ष्य है कि प्रतिवादीगण ने उससे 10,000 रूपए की पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में प्रदर्श ए1 का विक्रय अनुबंध पत्र लिखा था और वह उसके द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही अदा की जा चुकी है। उसकी यह भी साक्ष्य है कि विक्रय अनुबंध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिवादीगण वादी की इच्छा के अनुसार उसके पक्ष में अथवा उसके बताये हुए व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करेगा। उसकी यह भी साक्ष्य है कि चूंकि प्रतिवादीगण तिरपुर में नौकरी करते थे और उन्होंने उससे विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए समय मांगा था इसलिए उसने दावा पेश नहीं किया। उसकी यह भी साक्ष्य है कि वादग्रस्त सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी प्रथम प्रतिवादी है और उनके द्वारा विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही उसे प्रदर्श ए2 के विक्रय पत्र दिनांकित 18.03.1980 का मूल दस्तावेज सौंप दिया गया था।

<u>प्रतिवादी की साक्ष्य</u> :—

प्रथम प्रतिवादी प्रतिवादी क.2 का पिता है। उसकी साक्ष्य है कि द्वितीय प्रतिवादी ने वादी से रूपए 10,000 की राशि ऋण के रूप में 3 रूपए प्रति सैकडा प्रति माह अर्थात् 36 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उधार ली थी। वादी ने उनसे कोरे स्टाम्प पेपर्स पर ऋण राशि की अदायगी के लिए प्रतिभूति बतौर हस्ताक्षर करवा लिये थे, जिसे बाद में उसने संविदा के विशिष्ट अनुपालन हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया है।

उसकी यह भी साक्ष्य है कि जब द्वितीय प्रतिवादी का वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, उसे विक्रय अनुबंध में शामिल किया जाना यह स्पष्ट करता है कि विक्रय अनुबंध मात्र ऋण की सुरक्षा के लिए किया गया संव्यवहार था। उसकी यह भी साक्ष्य है कि वादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज यह सिद्ध करने के लिए पेश नहीं किया है कि उसने 1995 से 2009 के बीच अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कराने के लिए कोई कार्यवाही की।

<u>तर्क वादी</u> :—

वादी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय अनुबंध केवल और केवल वादी के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति विक्रय करने

के लिये था और यह वाद विक्रय अनुबंध के लेख से भी प्रमाणित है कि यह सम्पत्ति को विक्रय करने के लिए था। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए विक्रय अनुबंध दिनांक से ही अनुरोध करता रहा। जब प्रतिवादीगण ने तृतीय पक्ष को वादग्रस्त सम्पत्ति विक्रय करने का प्रयास किया तो वादी ने 05.01.2009 को उसे नोटिस भेजा और 07.01.2009 को दावा पेश किया। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नजदीकी रिश्ता होने के कारण वादीगण ने तत्काल दावा पेश नहीं किया। वादी एक वास्तविक दावा लेकर आया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि वह न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है।

वादी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 प्रतिवादीगण को यह कहने से वर्जित करती है कि कोई विक्रय करार नहीं किया गया था। उनका यह भी अनुरोध है कि धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आलोक में प्रतिवादीगण को अपने विरोध के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।

विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि जहां तक दावे में स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही जाकर प्रतिवादी को वादग्रस्त सम्पत्ति में वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित करने का प्रश्न है उसे अवधि बाह्य नहीं कहा जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि एक विक्रेता जिसने सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर ली है, का यह दायित्व है कि वह सम्पत्ति का आधिपत्य क्रेता को सौंप दे और उसे बिना किसी हस्तक्षेप के आधिपत्य की वारंटी दे। जहां पर प्रतिवादी के द्वारा सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर आधिपत्य वादी को सौंप दिया गया वहां पर वादी को संविदा के विशिष्ट अनुपालन की डिक्री से इंकार नहीं किया जा सकता है, उसे संविदा की विशिष्ट अनुपालन की सहायता देने से इंकार किया जाना धारा 10 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत असाम्यिक होगा।

उनका यह भी तर्क है कि वादी ने प्रतिवादीगण को पूर्ण राशि अदा करने के उपरांत उससे अंतिम धन अदायगी की रसीद प्राप्त की है, जो कि उसके द्वारा किये गये संविदा के अपने भाग को पूर्ण करता है, इसलिए उसे वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। न्यायालय को उचित प्रकरणों में संपूर्ण परिस्थितियों एवं दावे में किये गये अभिवचनों पर विचार कर यह निष्कर्ष देना चाहिए कि उक्त संबंध में वादी ने आवश्यक अभिवचन किए हैं अथवा नहीं।

तर्क प्रतिवादी :–

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि उक्त विक्रय अनुबंध सम्पत्ति के विक्रय के लिए नहीं था और इसे मात्र ऋण की सुरक्षा के लिए निष्पादित किया गया प्रतिभूति दस्तावेज माना जा सकता है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि तथाकथित विक्रय अनुबंध 05.07.1995 को हुआ है जबकि दावा 07.01.2009 को अर्थात्

प्रदर्श ए1 के अनुबंध के निष्पादन के लगभग 14 वर्ष उपरांत पेश किया गया है। वादी ने 14 वर्ष के विलंब से वाद पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। यदि यह मान भी लिया जावे कि समय संविदा का मर्म नहीं था तो भी इसे एक युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए था। अतः दावा पूर्णतः अवधि बाह्य है। उनका यह भी तर्क है कि ऐसे प्रकरणों में अवधि लीगल नोटिस दिनांकित 05.01.2009 को जारी किये जाने की दिनांक से प्रारंभ होना नहीं मानी जा सकती है क्योंकि ऐसा किया जाना मर्यादा अधिनियम के अनुच्छेद 54 के विपरीत होगा।

विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश किये जाने के अभाव में कि उसके द्वारा दावा पेश किये जाने में कोई त्रुटि या उपेक्षा नहीं की गयी है दावे को डिक्री नहीं किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी के द्वारा संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए प्रस्तुत किया गया वाद आदेश 6 नियम 3 सीपीसी0 एवं एपेंडिक्स–ए के फार्म 47 के क्लॉज 3 के अनुरूप नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि अनुबंध के निष्पादन के समय सम्पूर्ण विक्रय धनराशि अदा कर दी गयी है तो भी वादी को यह प्रमाणित करना चाहिए था कि वह अनुबंध दिनांक से वाद प्रस्तुति दिनांक तक संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए इच्छुक एवं तैयार रहा है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है, इस कारण भी उसके पक्ष में संविदा के विशिष्ट अनुपालन की कोई डिक्री नहीं दी जा सकती।

JUDGMENT WRITING (CRIMINAL)

Q.4 Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given hereunder by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions of the relevant laws. - 40 Marks

Prosecution Case :-

Grandmother of deceased Gaurav, Shanti Bai lodged a missing report with police station Kotwali on 24.11.2005 that his grandson Gaurav, who is a student of class 9th has not returned to home since 12 p.m. of 22.11.2005 after the school was over and they have inquired at nearby places, but got no clue. The missing report no. 100/05 was registered by Sub-inspector Umashankar. In statement during inquiry Shanti Bai informed that a ransom call from unknown person has been received on 27.11.2005 at 4.32 p.m. on their landline no. 3528250, demanding Rs. 5,00,000/-, otherwise Gaurav will be killed. Police installed caller I.D. and other instruments at the residence of Shanti Bai. Again a call on landline

number was received on 29.11.2005 at 9.12 p.m. which was made using sim no. 9826055222. The same unknown person has threatened them saying that even after the lapse of two days, the money has not been paid. If money is not paid within 24 hours, then he will kill Gaurav.

Sub-inspector Umashankar registered FIR bearing crime no. 912/2005 on 01.12.2005 and started the investigation. Statements of Shanti Bai, grandmother of deceased, mother of deceased Devi Bai and elder cousin brother of deceased Pankaj were recorded in which they have repeated the fact regarding missing of Gaurav since noon of 22.12.2005 and receiving calls from unknown persons on their landline. It was revealed during investigation that sim no. 9826055222 was issued by Airtel company in the name of one Sangram Singh, the documents of Sangram Singh were fake and no person of such name could ever be found. Thereafter during examination of I.M.E.I. No. 123456789 of that mobile, it was found that sim no. 7712322431 was being used in the same mobile prior to the incident till 21.11.2005. That sim was issued by Airtel company in the name of some Saleem. Saleem was taken into custody on 01.12.2005 at about 7 p.m. and interrogated, he revealed that he along with co-accused Muvin and Firoj has planned to kidnap Gaurav. On 22.11.2005 at 11.30 p.m. Muvin and Firoj picked the Gaurav from the school and took him to a factory which was closed for long time. When their demand for ransom was not fulfilled then they killed Gaurav in the night of 31.11.2005 by strangulation. Co-accused Muvin and Firoj cut the dead body from neck in two parts and threw both parts in jungle separately. He has kept the mobile used in crime in a box at his residence. After recording a memorandum u/s. 27 of Indian Evidence Act, a mobile which was used in committing crime was recovered from the house of Saleem, which was seized before witness Ram and Mohan, seizure memo was also prepared. During search in jungle both parts of dead body were found which were sent to District Hospital for examination. A detailed memorandum was prepared in this regard. Dead body was identified by the mother of deceased Devi Bai, identification memo was prepared.

Thereafter accused Muvin and Firoj were taken into custody and their memorandums u/s. 27 of Indian Evidence Act were also recorded, in which they admitted that they have committed the offence with Saleem. A motorcycle was seized from Muvin, seizure memo was prepared. On the information of accused Firoj, a sharp edged sword was seized from his house, seizure memo was prepared. The said sword was sent to FSL for examination.

Call details and documents of both sim alongwith certificate u/s. 65B of Indian Evidence Act were obtained from Kapil, Nodal Officer of Airtel company. Similarly, call detail and relevant information of landline no. 3528250 were obtained from Sunil, the Nodal Officer of BSNL company.

Investigation Officer Umashankar came to know that a CCTV camera is installed at Showroom situated just opposite to the school. On going through the footage of relevant date and time, two boys having physical appearance similar to accused Muvin and Firoj were seen going on motorcycle with a boy which was resembling with deceased Gaurav, though the footage was not clearly visible. C.D. of relevant part of the CCTV footage got prepared and produced as electronic evidence. After the completion of investigation, accused persons were prosecuted.

Defence Plea:

Accused persons pleaded not guilty and requested for trial.

Evidence of prosecution:

Pankaj PW-1 has stated that on 22.11.2005 he had an important work near the school. At about 12 p.m. while returning, he saw that accused Muvin and Firoj were taking Gaurav on a motorcycle from his school. In cross-examination, he denied the suggestion that he had not disclosed the fact during recording of his police statement Ex.D1, regarding seeing accused Muvin and Firoj taking Gaurav on motorcycle and stating the same for the first time in the court. He has also denied that he is elder cousin brother of deceased Gaurav.

Shanti Bai PW-2 has deposed in court as per the prosecution story and proved that she has lodged the missing report Ex.P1 and FIR Ex.P2. In cross-examination, she has admitted that Pankaj is the elder cousin brother of deceased Gaurav, who resides with them.

Ram PW-3 and Mohan PW-4 have not supported the prosecution. On a leading question asked from prosecution side they admitted the signature on memorandum of Saleem Ex.P3, Seizure memo of mobile Ex.P4, memorandum of accused Muvin and Firoj Ex.P5 and P6 respectively, seizure memo of motorcycle Ex.P7 and seizure memo of sword Ex.P8.

Devi Bai PW-5 has deposed in court like Shanti Bai PW-2. Apart from this, she has proved the identification of dead body and contents of identification memo Ex.P9.

Nodal Officer of Airtel Company Kapil PW-6 has duly proved the call details and related documents of sim no. 9826055222 and sim no. 7712322431 as per prosecution story. Call details are Ex.P10 and P11 respectively and Ex.P12 is the certificate u/s. 65B of Evidence Act received in this behalf. It is clear from the call details that the sim no. 9826055222 was being used prior to the incident till 21.11.2005 in mobile bearing I.M.E.I. No. 123456789 and the calls on 27.11.2005 and 29.11.2005 were made through sim no. 7712322431 on landline no. 3528250 using the same mobile number. According to this witness, each mobile has its unique IMEI number.

Nodal Officer of BSNL Sunil PW-7 has also duly proved call details of landline no. 3528250 Ex.P13 and Ex.P14 certificate u/s. 65B of Evidence Act issued in this regard, as per prosecution story.

Narayan PW-8 has deposed that police has examined the CCTV footage of his showroom related to the date of incidence i.e. 22.11.2005 and copied the relevant footage in their pendrive. In his cross examination, he has admitted the suggestion that CCTV footage was not clear and it was not possible to identify a person correctly.

Dr. Umesh Trivedi PW-9 has duly proved the contents of post-mortem report Ex.P15. As per the PM, the dead body was in two pieces. In his opinion death was caused by strangulation and probably the neck was cut down thereafter. In his opinion period of death was approximately before 4-5 days of examination. The witness stood firm during cross-examination.

Sub-inspector Umashankar PW-10 has stated that he has registered missing report Ex.P1 on 24.11.2005 as per version of Shanti Bai and registered FIR bearing crime no. 912/2005 on 01.12.2005. According to this witness, he has got installed the caller I.D. at the residence of Shanti Bai. He has duly obtained the call details and other documents related to sim no. 9826055222, 7712322431 and landline no. 3528250 from concerned Nodal Officers. He interrogated accused Saleem on 01.12.2005,

in which accused admitted the commission of crime along with other co-accused and revealed that the mobile used in crime is kept in a box, memorandum Ex.P3 was prepared and the mobile Article A-1, bearing IMEI No. 123456789 was recovered on the basis of information given by accused Saleem, seizure memo Ex.P4 was prepared. Memorandum Ex.P5 and P6 of accused Muvin and Firoj respectively were prepared u/s. 27 Evidence Act. A motorcycle and a sharp edged sword Article A-2 were recovered from accused Muvin and Firoj respectively and seizure memo Ex.P7 and P8 were prepared in this regard. Dead body was found on 01.12.2005 in two pieces from jungle which was sent to District Hospital for medical examination. He has produced the C.D. containing the CCTV footage of showroom of Narayan. Seized sword was sent to FSL for examination, FSL report is Ex.P16. In his cross-examination, he has admitted that FIR Ex.P2 has been lodged after 8 days of missing of deceased. It is true that neither blood stains have been found on seized sword in FSL report Ex.P16 nor blood stains were present on the sword at the time of seizure. It is true that Pankaj had not stated that he had seen accused Muvin and Firoj accompanying Gaurav on motorcycle during his police statement Ex.D1. No certificate u/s. 65B of Evidence Act has been produced with CCTV footage of showroom.

<u>Evidence of defence</u>-

Accused persons have not adduced any evidence in defence. However, in statements made u/s 313 CrPC, they denied all the incriminating facts and stated that they had been wrongly implicated. Apart from this, when accused Saleem was asked about mobile Article A-1 and both sim numbers in examination under Section 313 of CrPC, he has not given any explanation.

<u>Arguments of prosecution</u>-

The Public Prosecutor stated that the prosecution has discharged the burden of proving the case beyond reasonable doubt. The statements of the witnesses are trustworthy. It has been proved by cogent and reliable evidence that accused Muvin and Firoj were last seen together with deceased. It is also proved that the ransom calls were made through the mobile of accused Saleem. It has been requested that the accused persons be awarded capital punishment.

Arguments of Defence Counsel-

There is unreasonable delay of around 8 days in lodging the FIR. Independent witnesses of memorandum and seizure have not supported the prosecution story. Entire proceedings have been conducted by a single police officer, therefore, his evidence cannot be relied upon. Certificate under 65B Evidence Act has not been produced in relation to footage seized from showroom, so this evidence is immaterial. No human blood was found on sword, Article A-2. Identification of motorcycle of Muvin has not been conducted. Pankaj is cousin brother of deceased, so his evidence cannot be relied upon. All witnesses are relatives of deceased, therefore, their evidence is not fully trustworthy. It has been requested that accused persons be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :–

अभियोजन कहानी यह है कि दिनांक 24.11.2005 को शाम लगभग 7 बजे मृतक गौरव की दादी शांति बाई ने इस आशय की गुमशुदगी रिपोर्ट कोतवाली में लेख करायी कि उसका पोता गौरव जो कक्षा 9वीं का छात्र है, वह दिनांक 22.11.2005 की दोपहर 12 बजे से स्कूल के समय के बाद से ही घर नहीं लौटा है और आसपास पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है। उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट क्रमांक 100/05 उपनिरीक्षक उमाशंकर द्वारा लेख की गयी। जांच कथन के दौरान शांति बाई ने यह भी बताया कि दिनांक 27.11.2005 को शाम 04.32 बजे उनके लैण्डलाईन नंबर 3528250 पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया जिसने पांच लाख रूपए फिरौती की मांग की और न देने पर गौरव को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उनके घर पर कॉलर आई.डी. आदि यंत्र स्थापित किए। दिनांक 29.11.2005 को रात 9.12 बजे पुनः उक्त लैण्डलाईन पर कॉल आया जो कि सिम नंबर 9826055222 से किया गया था। फोन पर उसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी दी कि दो दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पैसे नहीं दिये गये हैं, यदि 24 घंटे के भीतर पैसे नहीं पहुंचाए गए तो वह गौरव को जान से मार देगा।

दिनांक 01.12.2005 को पुलिस उपनिरीक्षक उमाशंकर ने थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 912/2005 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अनुसंधान प्रारंभ किया। मृतक की दादी शांति बाई, मां देवी बाई व चचेरे बडे भाई पंकज के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें उन्होंने दिनांक 22.12.2005 की दोपहर से मृतक का कोई पता न चलना व लैण्डलाईन पर अज्ञात व्यक्ति के कॉल आने की बात दोहराई। सिम नंबर 9826055222 का पता लगाया गया जो एयरटेल कम्पनी से संग्राम सिंह नामक व्यक्ति के नाम से जारी हुई थी। संग्राम सिंह के दस्तावेज फर्जी पाए गए और इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद मोबाइल के आई.एम.ई.आई. नंबर 123456789 की जांच में यह पाया गया कि घटना के पूर्व दिनांक 21.11.2005 तक उक्त मोबाइल में सिम नंबर 7712322431 का प्रयोग किया जा रहा था। उक्त सिम भी एयरटेल कम्पनी की थी, जो सलीम नाम के व्यक्ति को जारी की गयी थी। दिनांक 01.12.

2005 को शाम लगभग 7 बजे सलीम को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी जिसमें उसने बताया कि उसने सह–आरोपी मुवीन व फिरोज के साथ मिलकर घटना की योजना बनायी थी, मुवीन व फिरोज दिनांक 22.11.2005 को दोपहर 11.30 बजे गौरव को स्कूल के बाहर से अपनी मोटरसायकल से उठाकर लाए। उन्होंने गौरव को एक बंद पड़े कारखाने में रखा था, उनकी पैसे की मांग पूरी न होने पर उन्होंने दिनांक 30.11.2005 की रात गौरव की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी मुवीन व फिरोज ने शव की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दिया और वे शव के दोनों हिस्सों को जंगल में दूर–दूर फेंक आए थे। घटना में प्रयुक्त मोबाइल उसने अपने घर में संदूक में छिपाकर रख दिया है। धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम लेख किये जाने के उपरांत आरोपी सलीम के घर में संदूक से घटना में प्रयुक्त मोबाइल साक्षी राम व मोहन के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। जंगल में तलाश करने पर एक स्थान पर शव का धड़ व थोड़ी दूरी पर कटा हुआ सिर बरामद हुआ जिसे परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया और इस संबंध में विस्तृत पंचनामा बनाया गया। सिर की पहचान मृतक की माता देवी बाई ने की, शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया।

इसके बाद आरोपी मुवीन व फिरोज को भी हिरासत में लेकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेण्डम लेख किये गये जिसमें उन्होंने आरोपी सलीम के साथ घटना कारित किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया। आरोपी मुवीन से एक मोटरसायकल जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी फिरोज द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर एक धारदार तलवार उसके घर से जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया, जिसे एफएसएल परीक्षण हेतु भेजा गया।

एयरटेल कम्पनी के नोडल अधिकारी कपिल से दोनों सिम जारी किये जाने संबंधी दस्तावेज व दोनों सिम की कॉल डिटेल आदि प्राप्त की गयी, जिसके संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र भी विधिवत् प्राप्त किया गया। इसी प्रकार लैण्डलाईन कम्पनी बीएसएनएल के नोडल अधिकारी सुनील से लैण्डलाईन नंबर 3528250 की सुसंगत जानकारी व कॉल डिटेल विधिवत् प्राप्त की गयी।

विवेचक उमाशंकर ने पाया कि स्कूल के सामने स्थित शोरूम पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा था और सुसंगत दिनांक व समय की फुटेज देखे जाने पर आरोपी मुवीन व फिरोज के समान दिखने वाले दो लडके, मृतक गौरव जैसे दिखने वाले एक बालक को मोटरसायकल पर बीच में बैठाकर ले जाते दिखे। फुटेज पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। सुसंगत सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर सी.डी. बनवाकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी। अन्वेषण पूर्ण होने पर, अभियुक्तगण को अभियोजित किया गया ।

<u>प्रतिरक्षा अभिवाक</u> :–

अभियुक्तगण ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की।

<u>अभियोजन की साक्ष्य</u> :–

पंकज अ.सा.1 ने बताया है कि उसे दिनांक 22.11.2005 को स्कूल के पास कोई जरूरी काम था। दोपहर लगभग 12 बजे वापस आते समय उसने गौरव के स्कूल के बाहर देखा कि आरोपी मुवीन व फिरोज, मोटरसायकल पर गौरव को बीच में बैठाकर ले जा रहे थे। प्रतिपरीक्षण में इस बात को गलत बताया है कि उसने आरोपी मुवीन व फिरोज को घटना के दिन मोटरसायकल पर

गौरव को ले जाते हुए देखने की बात पुलिस को प्रदर्श डी–1 का कथन देते समय नहीं बतायी थी और प्रथम बार न्यायालय में बता रहा है। इस बात को भी गलत बताया है कि वह मृतक गौरव का चचेरा भाई है।

शांति बाई अ.सा.2 ने अभियोजन कथानक अनुसार ही न्यायालय में साक्ष्य दी है और गुमशुदगी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 1** व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 लेख कराना प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि पंकज, मृतक गौरव का चचेरा बड़ा भाई है, जो उनके साथ ही रहता है।

राम अ.सा.3 व मोहन अ.सा.4 ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी सलीम के मेमोरेण्डम **प्रदर्श पी 3**, मोबाइल जप्ती पंचनामा **प्रदर्श पी 4**, आरोपी मुवीन व फिरोज के मेमोरेण्डम क्रमशः प्रदर्श पी **5 व 6** तथा मोटरसायकल जप्ती पंचनामा प्रदर्श **पी 7** व तलवार जप्ती पंचनामा प्रदर्श **पी 8** पर हस्ताक्षर होने की बात को सही बताया है।

देवी बाई अ.सा.5 ने भी शांति बाई के समान ही कथन न्यायालय में किया है। इसके अलावा देवी बाई असा.2 ने शव के सिर की शिनाख्त करना व शिनाख्ती पंचनामा **प्रदर्श पी 9** की अंतर्वस्तु को प्रमाणित किया है।

एयरटेल कम्पनी के नोडल अधिकारी **कपिल अ.सा.6** ने अभियोजन कथानक अनुसार ही सिम नंबर 9826055222 तथा सिम नंबर 7712322431 की कॉल डिटेल व संबंधित दस्तावेजों को विधिवत् प्रमाणित किया है। कॉल डिटेल क्रमशः प्रदर्श पी **10** व **11** हैं, जिनके संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधि0 का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 12 है। उक्त कॉल डिटेल में यह स्पष्ट है कि दिनांक 21.11.2005 तक मोबाइल, जिसका आई.एम.ई.आई.नंबर 123456789 है, में सिम नंबर 9826055222 प्रयुक्त की जा रही थी, उसी मोबाइल से सिम नंबर 7712322431 से दिनांक 27.11.05 को व दिनांक 29.11.05 को लैण्डलाईन नंबर 3528250 पर कॉल किये गये थे। साक्षी के अनुसार हर मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर विशिष्ट होता है।

इसी प्रकार बीएसएनएल के नोडल अधिकारी **सुनील अ.सा.7** ने भी अभियोजन कथानक अनुसार कथन करते हुए लैण्डलाईन नंबर 3528250 की कॉल डिटेल प्रदर्श **पी 13** व धारा 65बी साक्ष्य अधि0 के प्रमाणपत्र प्रदर्श **पी 14** को विधिवत् प्रमाणित किया है।

नारायण अ.सा.8 ने बताया है कि पुलिस ने उसके शोरूम पर आकर घटना दिनांक 22.11.2005 की सीसीटीवी फुटेज देखी थी और पुलिस फुटेज को कॉपी करके पेन ड्राईव में ले गई थी। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्टता नहीं थी और किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से पहचान पाना संभव नहीं था।

डा0 उमेश त्रिवेदी अ.सा.9 ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श **पी 15** को विधिवत् प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार मृतक का शव दो भागों में बंटा हुआ था। सिर व धड़ अलग–अलग था। उसके मत में गला दबाकर मृत्यु कारित किये जाने व तत्पश्चात् सिर को धड़ से काटकर अलग किए जाने की सम्भावना को भी व्यक्त किया गया है। उसके मत में मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 4–5 दिन पूर्व होना दर्शित किया गया। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में स्थिर रहा है।

उपनिरीक्षक **उमाशंकर अ.सा.10** ने दिनांक 24.11.2005 को शांति बाई के बताए अनुसार प्रदर्श **पी 1** की गुमशुदगी रिपोर्ट, दिनांक 01.12.2005 को अपराध कमांक 912/05 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श **पी 2** लेखबद्ध करना बताया है। साक्षी के अनुसार उसने शांति बाई अ.सा.1 के घर पर कॉलर आई.डी. लगवाई थी, जांच के दौरान मोबाइल नंबर 9826055222 व 7712322431 तथा लैण्डलाईन नंबर 3528250 की कॉल डिटेल व दस्तावेज आदि संबंधित नोडल अधिकारी से विधिवत् प्राप्त किए थे। आरोपी सलीम को दिनांक 01.12.2005 को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने सहआरोपीगण के साथ घटना कारित करना व घटना में प्रयुक्त मोबाइल घर पर संदूक में होना बताया था, इस संबंध में प्रदर्श **पी 3** का मेमोरेण्डम बनाया था। आरोपी सलीम द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर मोबाइल आर्टिकल– ए1 जप्त किया गया, जिसका आईएमईआई नंबर 123456789 था। इस बाबत् जप्ती पंचनामा प्रदर्श **पी 4** बनाया था। आरोपी मुवीन व फिरोज के मेमोरेण्ड्म कमशः प्रदर्श **पी 5** व **6** लेख किये थे। आरोपी मुवीन से मोटरसायकल व आरोपी फिरोज द्वारा पेश किये जाने पर एक धारदार तलवार आर्टिकल–ए2 जप्त कर जप्ती पंचनामा कमशः प्रदर्श पी **7 व 8** बनाये थे। जंगल से दिनांक 01.12.05 को मृतक का धड़ व सिर मिले थे, जिन्हें चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा था। नारायण अ.सा.8 के शोरूम से सीसीटीवी फुटेज की सीडी लेकर पेश की है। घटना में जप्तशुदा तलवार को जांच हेतु एफएसएल भेजा था, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श **पी 16** है।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 मृतक की गुमशुदगी के लगभग 8 दिन बाद लेख की गयी है। इस बात को भी सही बताया है कि तलवार की एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श **पी 16** के अनुसार उसपर किसी प्रकार का कोई रक्त नहीं पाया गया है और न ही तलवार जप्त किये जाते समय उसपर रक्त के कोई निशान थे। इस बात को सही बताया है कि साक्षी पंकज ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श डी–1 के दौरान दिनांक 22.11.2005 को आरोपी मुवीन व फिरोज को मोटरसायकल पर गौरव को ले जाने की बात नहीं बतायी थी। शोरूम के सीसीटीवी फुटेज के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं है।

बचाव साक्ष्य :–

अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। हांलाकि अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त कथन धारा 313 द.प्र.स. में सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए उन्हें झूठा फंसाया जाना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त सलीम से आर्टिकल–ए1 के मोबाइल व दोनों सिम नंबर के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर उसने धारा 313 दप्रसं0 के तहत कुछ न कहना बताया है।

अभियोजक का तर्क :–

लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह से परे मामले को साबित कर अपने भार को उन्मोचित किया है। गवाहों के बयान विश्वसनीय हैं। प्रस्तुत विश्वसनीय साक्ष्य से यह सिद्ध है कि अभियुक्त मुवीन व फिरोज को मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था। अभियुक्त सलीम के मोबाइल से ही फिरौती के कॉल किया जाना प्रमाणित है। अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :–

प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने में लगभग 8 दिन का अयुक्तियुक्त विलंब है। मेमोरेण्डम व जप्ती की कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी है, जिस कारण उसकी साक्ष्य पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। शोरूम से जप्त फुटेज के संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त साक्ष्य महत्वहीन है। आर्टिकल–ए2 की तलवार पर मानव रक्त नहीं मिला, आरोपी मुवीन की मोटरसायकल की भी कोई पहचान नहीं करायी गयी। साक्षी पंकज मृतक गौरव का चचेरा भाई है, जिसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी साक्षीगण मृतक के रिश्तेदार हैं, जिस कारण उनकी साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। अतः दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

****